दिनांक 17.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना मगोर्रा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 पुरस्कार घोषित सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 16/17.08.2024 की रात्रि थाना मगोर्रा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सौख से गोवर्धन के मध्य नहर की पटरी पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–अभिषेक उर्फ सोनू 2–विशम्भर 3–विष्णु घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4–आकाश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ सोनू जनपद धार, म0प्र0 से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु मध्य प्रदेश से 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ सोनू के विरूद्ध मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों पर लूट, धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग व अभियुक्त विशम्भर के विरूद्ध जनपद मथुरा के थाना मोगर्रा पर हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मगोर्रा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक उर्फ सोनू निवासी पिंक सिटी कालोनी थाना लसूडिया जनपद इन्दौर म0प्र0।

2–विशम्भर निवासी नगला शेरा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा।

3–विष्णु निवासी फ्रेन्डस नगर कालोनी महोली थाना हाइवे जनपद मथुरा।

4—आकाश निवासी नगला शेरा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद मुरादाबाद/थाना कुन्दरकी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.08.2024 को थाना कुन्दरकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मिलक काजी स्थित आम के बगीचे में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नाजिम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नाजिम निवासी ग्राम फत्तेपुर खास थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अलीगढ़/थाना बन्नादेवी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 01 लाख 03 हजार रूपये नगद**
- **लूट के रूपयों से खरीदी गयी मोटर साइकिल**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः17.08.2024 को थाना बन्नादेवी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निगम तिराहा से फायर सर्विस तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुभान 2–संदीप उर्फ लाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 01 लाख 03 हजार रूपये नगद, लूट के रूपयों से खरीदी गयी मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना बन्नादेवी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बन्नादेवी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बन्नादेवी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभान निवासी नंगला मसानी थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़।

2–संदीप उर्फ लाल निवासी दुबे का पडाव थाना गॉधी पार्क जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूटे गये 01 लाख 03 हजार रूपये नगद।

2–लूट के रूपयों से खरीदी गयी मोटर साइकिल।

3–01 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **01 लाख 14 हजार 756 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.08.2024 को थाना कोतवाली सदर, थाना खीरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम देउवापुर के दक्षिण नहिया के पास से अभियुक्त अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 01 लाख 14 हजार 756 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल कुमार निवासी ग्राम घुरघुट्टा खुर्द थाना खमरिया जनपद खीरी।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–01 लाख 14 हजार 756 रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना टीपीनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **5500/–रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 17.08.2024 को थाना टीपीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामलीला ग्राउण्ड से 02 अभियुक्तों 1–सौरभ 2–आकाश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 5500/–रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना टीपीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टीपीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टीपीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ निवासी भूमिया का पुल, भगवतपुरा थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ।

2–आकाश निवासी भूमिया का पुल, भगवतपुरा थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–5500/–रूपये नगद।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अली हसन को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना नानौता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नानौता पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–रणवीर सिंह 2–इसम सिंह को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः हत्या के मुकदमे में लगभग 07 वर्षों से फरार व 50,000–50,000 रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ मोनू उर्फ विभास शुक्ला व रजत उर्फ प्रभात शुक्ला महाराष्ट्र से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 16–08–2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद प्रयागराज थाना मेजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–365/2017 धारा 302, 504, 506 भादवि में वांछित एवं 50,000– 50,000 रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्तों प्रशान्त उर्फ मोनू उर्फ विभास शुक्ला व रजत उर्फ प्रभात शुक्ला को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u> :–

1. प्रशान्त उर्फ मोनू उर्फ विभास शुक्ला पुत्र कपिल शुक्ला निवासी–अटखरिया थाना मेजा जनपद प्रयागराज।
2. रजत उर्फ प्रभात शुक्ला पुत्र कपिल शुक्ला निवासी– अटखरिया थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

<u>बरामदगीः–</u>

1. 01 अदद मोबाइल फोन।
2. 02 अदद आधार कार्ड।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समयः–</u>

नीलकंठ वुड्स, मुल्ला बाग थाणे शहर महाराष्ट्र, दिनांक 16–08–2024 समय 22.15 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह,

पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, जनपद प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

थाना मेजा जनपद प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 365/2017 धारा 302, 504, 506 भादवि में वांछित एवं रूपये 50,000–50,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ मोनू उर्फ विभास शुक्ला व रजत उर्फ प्रभात शुक्ला के महाराष्ट्र प्रान्त के थाणे शहर में छिपकर रहने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर उपनिरीक्षकगण श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, श्री धर्मेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षीगण अभिषेक मिश्र, विकास तिवारी, अजय कुमार यादव, आरक्षी किशन चन्द व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम द्वारा महाराष्ट्र पहुॅच कर दोनों अभियुक्तों को नीलकंठ वुड्स, मुल्ला बाग थाणे शहर से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त प्रशान्त उर्फ मोनू उर्फ विभास शुक्ला उपरोक्त ने बताया कि वह वर्ष–2017 में अपने गॉव का ग्राम प्रधान था। उसके पट्टीदार शंकर शुक्ला पुत्र स्व0 मटुकनाथ शुक्ला से चुनावी रंजिष चल रही थी। इसी बात को लेकर दिनांक 18–06–2017 को शंकरजी शुक्ल परानीपुर घाट से बालू खरीद कर आ रहे थे, तभी बाबा महाराज और भृंगारी के बीच ओवरटेक कर रोकते हुए यह और इसका भाई रजत उर्फ प्रभात शुक्ला द्वारा कट्टे से फायर करके गोली मार दिये थे। जिससे शंकरजी शुक्ल घायल हो गये और उनकी बाद में मृत्यु हो गयी। उसके बाद यह लोग भदोही और लखनऊ में छिपकर रह रहे थे। इसके बाद परिवार के साथ वर्ष–2021 में मुम्बई आकर रहने लगे और थाणे स्थित DSS MAN POWER & SUPPLY SECURITY COMPANY में बाउंसर का काम करने लगे। इनको जानकारी हुई कि इनके विरूद्ध जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसमें पुरस्कार हो चुका है। तब यह लोग गिरफ्तारी के भय से और सतर्क रहने लगे।

थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–365/2017 धारा 302, 504, 506 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ मोनू उर्फ विभास शुक्ला व रजत उर्फ प्रभात शुक्ला को थाणे शहर, महाराष्ट्र प्रान्त में दाखिल किया गया तथा माननीय प्रथम वर्ग न्याय, दण्डाधिकारी दूसरा कोर्ट थाणे महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रशान्त उर्फ मोनू उर्फ विभास शुक्ला का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	180/2015	323/504/506/325 भादवि	मेजा	प्रयागराज
2	151/2016	307/504/506 भादवि	मेजा	प्रयागराज
3	365/2017	302/504/506 भादवि (वांछित)	मेजा	प्रयागराज
4	585/2009	307/504 भादवि	मेजा	प्रयागराज

गिरफ्तार अभियुक्त रजत उर्फ प्रभात शुक्ला का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	365/2017	302/504/506 भादवि (वांछित)	मेजा	प्रयागराज

गिरफ्तार अभियुक्त प्रशान्त उर्फ मोनू उर्फ विभास शुक्ला व रजत उर्फ प्रभात शुक्ला उपरोक्त के विरूद्ध अन्य जनपदों में पंजीकृत मुकदमे के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

––––––